कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

संख्याः– 377 /12-1 देहरादूनः दिनांकः 09 अगस्त, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–बागेश्वर अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के कि0मी0 133.00 से 170.00 (बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 22.112 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(FP/UK/ROAD/151113/2022)**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नानुसार अवगत कराया जाना है कि :–

1. भारत सरकार द्वारा विषयगत प्रकरण पर दिनांक 06.07.2023 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।
2. विषयगत प्रस्ताव कुल 22.112 है0 वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित है, जिसमें बागेश्वर वन प्रभाग के साथ–साथ बिन्सर वन्यजीव अभ्यारण्य का 1.521 है0 क्षेत्र भी सम्मलित है। अतः विषयक प्रस्ताव आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि दोनो के अन्तर्गत प्रस्तावित है।
3. विषयक प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त एन0पी0वी0 के अन्तर्गत रू0 2,85,87,499.00 एव क्षतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत रू0 1,98,47,333.00 की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तदर्थ कैम्पा कोष में दिनांक 18.09.2023 को जमा की जा चुकी है।
4. उक्त धनराशि में प्रयोक्ता एजेन्सी से बिन्सर अभ्यारण्य के 1.521 है0 हेतु एन0पी0वी0 के 01 गुने की धनराशि ली गयी थी, किन्तु सम्बन्धित प्रकरण बिन्सर वन्यजीव अभ्यारण्य से भी सम्बन्धित है एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार वन्यजीव विहार के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण हेतु एन0पी0वी0 के 05 गुने धनराशि लिये जाने का प्राविधान है।
5. उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा विषयगत प्रकरण में एन0पी0वी0 के अतिरिक्त 04 गुने रू0 78,65,699.00 की धनराशि जमा की जानी है, जिस हेतु डिमाण्ड नोट प्राप्त हो गया है, जिसे ऑनलाईन सत्यापित किया जा रहा है। भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी गाईड़ लाईन दिनांक 16.01.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत Linear Project में Forest Component का 02 प्रतिशत Wildlife Management Plan हेतु एवं कम से कम 0.5 प्रतिशत Soil Moisture Conservation Plan के लिये भी प्रयोक्ता एजेंसी से अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने का प्राविधान है।
6. इस हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की संस्तुति से Wildlife Management Plan (संलग्नक–01) एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा की संस्तुति से Soil Moisture Conservation Plan (संलग्नक–02) की प्रतियां उपलब्ध करायी गयी है, जिन्हें संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग के पत्रांक 5461/12–1–2 दिनांक 21.06.2024 के द्वारा निम्नानुसार डिमाण्ड नोट ऑनलाईन के माध्यम से प्रेषित किया गया है, जिसे नोडल कार्यालय स्तर से सत्यापित किया जाना है :–

एन0पी0वी0 की अतिरिक्त 04 गुना धनराशि– (1.521 है0 हेतु @ 12,92,850.00 की दर से)	रू0 78,65,699.00
वाईल्ड लाईफ मेनेजमेन्ट प्लान की धनराशि– (सी0डब्ल्यू0एल0डब्ल्यू0 द्वारा अनुमोदित)	रू0 2,69,25,000.00

सोयल एण्ड मोईसचर कन्जरवेशन प्लान की धनराशि– रू0 2,94,50,000.00

8. विषयगत प्रकरण पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 73वीं बैठक में दिनांक 17.07.2023 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थाई समिति द्वारा संस्तुति दी गयी है। (संलग्नक–03)

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रस्ताव 22.112 है0 क्षेत्र के प्रत्यावर्तन से सम्बन्धित है, जो आरक्षित वन भूमि एवं संरक्षित वन भूमि दोनो के अन्तर्गत आ रहा है एवं इस हेतु राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी है। उपरोक्त के अलोक में भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.07.2024 (संलग्नक–04) को जारी गाईडलाईन के प्रस्तर 12.5 में उल्लिखित प्राविधानों अनुसार इसमें अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकती है। अतः वर्तमान में विषयक प्रस्ताव पर बिन्सर वन्यजीव अभ्यारण्य (1.521 है0) को छोड़ते हुये शेष 20.591 है0 क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

कृपया उपरोक्त का अवलोकन करते हुये प्रकरण में वाईल्ड लाईफ मैनेजमेन्ट प्लान की 2% की धनराशि एवं सोयल एण्ड मोईसचर कन्जरवेशन 0.5% की धनराशि को सत्यापित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर भारत सरकार के दिनांक 08.07.2024 द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

पत्र संख्या 377 / 12-1 / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
4. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।